न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा, जिला म०प्र०

निगरानीप्रकरण क्र० निगरानी 2321-II-15

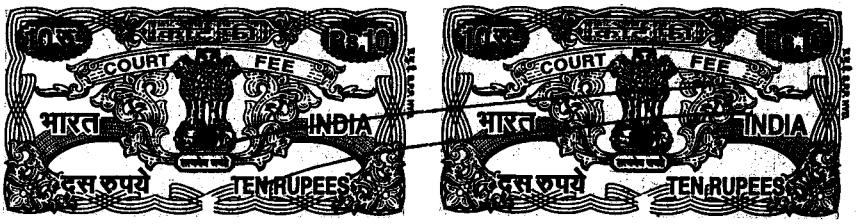

Rs. 20/-

211
19.6.15

1- रघुवरप्रसाद तनय स्व० बृजभान प्रसाद तिवारी

2- उग्रसेन तनय रघुवरप्रसाद तिवारी दोनों निवासीगण ग्राम सोनौरी,

तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० ——————निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

रामनारायण तनय स्व० शिवदयाल तिवारी निवासी ग्राम सोनौरी, तह०

हुजूर, जिला रीवा म०प्र० ———— ————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर वृत्त बनकुइया जिला रीवा म०प्र० के प्रकरण क्र० 33/अ-70/14-15 आदेश दिनांक 16-6-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन 1959 ई०

श्री सिद्धार्थ पाठक एड० के द्वारा आज दिनांक 19-6-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5842
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक..........को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर

मान्यवर,

सूक्ष्म तथ्य

अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक/गैरनिगरानीकर्ता रामनारायण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2321–दो/15 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सिद्वार्थ पाठक उपस्थित होकर यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 33/अ–70/2014–15 में आदेश दिनांक 16.6.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक रामनारायण द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के अधीन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका जबाव आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया और प्रकरण प्रकियानुसार साक्ष्य हेतु नियत किया जाना चाहिये था लेकिन प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत न करते हुये तर्क हेतु नियत कर दिया गया। आवेदक द्वारा साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत हेतु आवेदन दिया लेकिन विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया जो विधि प्रकिया के विरूद्व है। आवेदक अधिवक्ता का अंत में तर्क है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाने का	

अनुरोध किया गया है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रकरण धारा 131 से संबंधित है ओर सुखाचार से जुड़ा हुआ है इसलिये साक्ष्य का आवेदन धारा 32 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 33/अ–70/2014–15 में आदेश दिनांक 16.6.15 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य